फर्द अहकाम

अज अदालत संभागीय आयुक्त जोधपुर

कोजाराम पुत्र रूपाराम वगैराह बनाम चुतराराम पुत्र पेमाराम वगैराह

किस्म मुकदमा अन्तर्गत धारा 75 राज0भू राजस्व अधिनियम राजस्व अपील संख्या 26/24

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
09–06–2025	पत्रावली अपीलान्ट के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा दिनांक 02.06.2025 को प्रस्तुत किये गये प्रार्थना पत्र बाबत अपील को विड्रो खारिज किये जाने, पर निर्णय हेतु रखी हुई थी, जो आज पेश हुई। अपीलान्ट के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। अपीलान्ट के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा दिनांक 02.06.2025 को एक प्रार्थना पत्र वास्ते अपील को विड्रो खारिज किये जाने, का पेश करते हुए यह कथन किया गया कि अपीलार्थीगण अपनी उपरोक्त अनवान की अपील को आगे नहीं चलाना चाहते है तथा अपील को विड्रो करने की अनुमति दिया जाना आवश्यक है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि उपरोक्त अपील को जरिये विड्रो खारिज किये जाने का आदेश फरमावें। अपीलान्ट के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का बगौर अवलोकन किया गया। अपीलार्थी उक्त विचाराधीन अपील को और आगे नहीं चलाना चाहता है। ऐसे में अपीलान्ट तथा अपीलान्ट के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 02.06.2025 को लोक अदालत की भावना से स्वीकार किया जाकर अपील के गुणावगुण पर विचार किये बिना इस अपील को और अधिक विचाराधीन नहीं रखते हुए इसी स्तर पर निस्तारण करते हुए अपील जरिये प्रार्थना पत्र द्वारा अपीलान्ट बाबत विड्रो के आधार पर खारिज की जाती है। पत्रावली दर्ज फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावे। अधीनस्थ न्यायालय का मूल रेकर्ड लौटाया जावे। सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर	